

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(5)एम.ई. / ग्रुप-1 / 10

जयपुर, दिनांक:

11 3 MAY 2014

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।

विषय:- सीएससी (वाक इन इन्टरव्यू) से नियुक्त आवश्यक /अस्थायी आधार पर कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों की सेवा अवधि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्त निम्नांकित चिकित्सकों की अस्थायी सेवा अवधि में दिनांक 01.10.2013 से 06 माह तक अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो तक अभिवृद्धि की जाती है:-

क्र.स.	नाम चिकित्सक	पद	विशिष्टता
1	2	3	4
मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
1.	डॉ० श्रीकान्त शर्मा	सहा. आचार्य	मेडिसिन
2..	डॉ० आदिल अजीज	सहा. आचार्य	मेडिसिन
3.	डॉ० मंयक श्रीवास्तव	सहा. आचार्य	मेडिसिन
4.	डॉ० रामजी शर्मा	सहा. आचार्य	मेडिसिन
5.	डॉ० शुभ्रा जैन	सहा. आचार्य	क्षय एवं वक्ष

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई०डी० संख्या 101400947 दिनांक 05.03.2014 एवं कार्मिक (क-2) विभाग की आई०डी० संख्या 234 दिनांक 13.03.2014 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र सं० एफ 9(8) वृद्धि/चिकित्सा शिक्षा/11-12/48 दिनांक 02.05.2014 से सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

भवदीय



(धन्ना लाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) एवं कार्मिक (क-2) विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव